

प्ररूप 9

(देखिये नियम 32)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची
जिला परिषद् के सदस्य का निर्वाचन
वार्ड संख्या से -----

क्र०सं०	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किए गये चिन्ह
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
इत्यादि			

स्थान-----

दिनांक-----

निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग क्रमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जायें जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है।

विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटरनिंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाए।